



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272997  
CG-DL-E-30052026-272997

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2604]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2697(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (36 का 2020) की धारा 122 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30 जून, 2009 की अधिसूचना का.आ. 1913 और का.आ. 4287 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2023 का अधिक्रमण उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों में, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में नियुक्त करती है और उन्हें उक्त संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनार्थ उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता प्रदान करती है—

सारणी

क्रम. सं	अधिकारी का पदनाम	कार्यालय	क्षेत्र जिसके संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त;	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	सम्पूर्ण भारत

	(ii) अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त; (iii) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त; (iv) सहायक भविष्य निधि आयुक्त; (v) प्रवर्तन अधिकारी;		
--	---	--	--

[फा. सं. एस-35025/12/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

**S.O. 2697(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 122 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of notifications of the Government of India, Ministry of Labour and Employment vide numbers S.O. 1913 dated 30<sup>th</sup> June, 2009 and S.O. 4287(E) dated 29<sup>th</sup> September, 2023, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers specified in Column (2) of the Table below in the offices specified in column (3) to be Inspectors-cum-Facilitators and confer upon them the jurisdiction specified in Column (4) of the said Table, for the purposes of Chapter III of the said Code:-

TABLE

Sl. No.	Designation of officer	Office	Area in relation to which jurisdiction to be exercised
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) Central Provident Fund Commissioner; (ii) Additional Central Provident Fund Commissioner; (iii) Regional Provident Fund Commissioner; (iv) Assistant Provident Fund Commissioner; (v) Enforcement Officer;	Employees' Provident Fund Organisation	The whole of India

[F. No. S-35025/12/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.